न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः—78 / 2019 / दावा

1. इस्माईल
2. युसुफ
3. सलीम
4. अलीशेर
   } पुत्रगण भूरे खां
5. नूरजहां पत्नि भूरे खां
6. आरीफ
7. अयूब
8. राजू खां
   } पुत्रगण सकूर
9. मैमा पत्नि सकूर
10. मुमताज
11. नवाज
    } पुत्रगण जमाल खां
12. लाल मोहम्मद
13. अजीज मोहम्मद
14. बाबू खां
15. गुलाब खां
16. आरिफ खां
    } पुत्रगण नूर खां
17. किस्मत बानो पत्नि नूर खां
    समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

—वादीगण

ब ना म

1. सतार
2. आमीन
3. इकबाल
   } पुत्रगण रमजू
4. शकूर पुत्र जमाल खां
   समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. पटवारी, पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. उप—पंजीयक, लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत उदघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड संशोधान अंतर्गत धारा 88, 188 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थितिः

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री कमल कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण की ओर सें।

निर्णय

दिनांक 06.08.2019

1. वाद में वादीगण का कथन व वादसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 की संयुक्त पैत्रिक कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 400 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम खूड़ पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित रही है जिसके नये खसरा नम्बर 874 रकबा 3.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.01 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 3.28 हैक्टर नव सृजित हुए है। उक्त विवादित भूमियों में ादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के पूर्वज रमजू के नाम सें कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा रही है। उक्त रमजू का स्वर्गवास हो जाने पर विरासत के आधार पर उसके जायंदा 6 पुत्रों– भूरेखां, जमाल खां, नूर खां, इकबाल खां, सतार व आमीन के नाम सें हिस्सा बराबर बराबर 1/6, 1/6 के अनुसार खातेदारी दर्ज होनी थी परन्तु उस समय कवल मात्र रमजू के दो पुत्रों सतार व आमीन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने ही अपने नाम हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज करवा ली जबकि मौके पर पैत्रिक हक हिस्से अनुसार ही सभी काबिज काश्त है। वादीगण अपने पूर्वज रमजू के जीवन काल सें ही अपने पुश्तैनी हक, हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम सें खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज रमजू के जायंदा पुत्रों भूरे खा, जमाल खां व नूर खां का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं वादीगण उक्त मृतक पुत्रों के वारिशान है एवं अब परिवार बड़ा होने के कारण उक्त भूमियां छोटे–छोटे टुकड़ों में विखण्डित हो जाने सें राजस्व रिकॉर्ड में सभी हिस्सेदारान के नाम सें खातेदारी दर्ज होना भी आवश्यक है एवं इसके लिए वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कहने पर व हमेशा वादीगण को आश्वासन देते रहे है एवं आजकल का आश्वासन देकर समय निकाल रहे है अतः वादीगण को वाद बाबत खातेदारी उद्घोषणा हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। जमाल खां का पुत्र शकूर वर्तमान में विदेश गया हुआ है जिसकी भी उक्त भूमियों में हिस्सा 1/6 में सें 1/3 अर्थात सम्पूर्ण में सें 1/18 है एवं उसके हक अधिकार भी अन्य वादीगण के समान ही है परन्तु वर्तमान मेकं वादीगण के साथ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा में उपस्थित होने में असमर्थ होने सें उसको परफोर्मा प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादीगण को उनके हक, हिस्से की खातेदारी की भूमि को उनके नाम करवाने सें इंकार होने पर वादकरण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप सें जारी है अतः वादकरण पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई क वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर विवादित भूमियों सें प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमियों में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को उनके पैत्रक हक हिस्से अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की ओर सें वकील श्री कमल कुमार शर्मा हाजिर आये तथा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रतिवादीगण की वाद में सहमति के आधार पर वादीगण का वाद प्रथम दृष्ट्या स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादीगण की सहमति पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में उद्घोषणा इस प्रकार की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 874 रकबा 3.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.01 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 3.28 हैक्टरवाके ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी सं0 1 ता 5 प्रत्येक को 1/36 हिस्से का, वादी सं0 6 ता 9 प्रत्येक को 1/144 हिस्से का, वादी सं0 10 व 11 प्रत्येक को 1/18 हिस्से का, वादी सं0 12 लगायत 17 प्रत्येक को 1/36 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 4 शकूर को 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ~~26.08.2019~~ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 26-8-19

(अशोक कुमार)

सहायक कलक्टर, फास्टट्रैक, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

इस्माईल आदि बनाम सतार आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड संशोधान अंतर्गत धारा 88, 188 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट

मुकदमा नं0 72/दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 26.08.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई व श्री कमल कुमार शर्मा मिनजानिब मुद्दायल पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादी तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 874 रकबा 3.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.01 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 3.28 हैक्टरवाके ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी सं0 1 ता 5 प्रत्येक को 1/36 हिस्से का, वादी सं0 6 ता 9 प्रत्येक को 1/144 हिस्से का, वादी सं0 10 व 11 प्रत्येक को 1/18 हिस्से का, वादी सं0 12 लगायत 17 प्रत्येक को 1/36 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी सं0 4 शकूर को 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.08.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनतताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बावत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर फास्टट्रैक, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner